सं.एफ. 3-164/2005-पी.आर्ट्स
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली
दिनांक............................

सेवा में,

लेखधिकारी
वेतन एवं लेखाधिकारी (अनुभाग)
संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली।

विषय : स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन/उपस्कर अनुदान की स्कीम।

महोदय,

मुझे **सचिव, थोंकन्यू ग्राम विकास सोसायटी, त्यूनसांग, त्यूनसांग, नागालैण्ड** को भवन निर्माण हेतु **13,00,000/- रू. (तेरह लाख रूपए मात्र)** की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. उपरोक्त संगठन के लिए अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में, भवन निर्माण के लिए उपरोक्त संस्थानो को **3,90,000/- रू. (तीन लाख नब्बे हज़ार रूपए मात्र)** का भुगतान करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

3. अनुदान यहॉं संलग्न अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगा। इस धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र स्वीकृति जारी होने के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त पैरा 2 के जरिए स्वीकृत अनुदान की धनराशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय द्वारा निकाली जाएगी तथा संस्थान को, उसके पक्ष में चेक/आर टी आर के माध्यम से इसका भुगतान किया जाएगा।

5. अंतर्गस्त व्यय मुख्य शीर्ष '2005' मांग सं. 20 कला और संस्कृति कोड सं. 04.14 सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान (योजना) - 04.14.31 - सहायता अनुदान 2005-06 के नामे डाला जाता है।

6. निधियों की उपलब्धता पी एण्ड बी द्वारा, उनके दिनांक 18.11.2005 की डायरी सं. 3050/आई एफ डी/2005 के जरिए प्रमाणित की जाती है। इसे आई एफ डी के अनुमोदन से, उनकी दिनांक 18.11.2005 की डायरी सं. 3050/आई एफ डी/2005 के जरिए जारी किया जाता है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की स्कीम के तहत् सहायता के पैटर्न को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त है तथा यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम के नियमों और सिद्धांतों के अनुसरण में जारी की जा रही है।

8. अनुदानग्राही संस्थान महालेखाकार नागालैण्ड के क्षेत्र में स्थित है तथा पत्र की एक प्रति उन्हें भेजी जा रही है।

9. यह अनुदान गैर आवर्ती प्रकृति का है तथा इसे पी एफ आर नियम 149 (3) और जी एफ आर 151 (1) में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद जारी किया जा रहा है। पिछले अनुदान का कोई

अप्रयुक्त अधिशेष लम्बित नहीं है। पिछले अनुदान के सम्बंध में कोई उपयोग प्रमाणपत्र लम्बित नहीं है।

भवदीय,

(बी. सेन गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित :

सचिव,
थोंकन्यू ग्राम विकास सोसायटी,
त्यूनसांग,
नागालैण्ड

यदि संस्थान को निबंधन एवं शर्तें स्वीकार हैं तो अनुदान की प्रथम किस्त जारी करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिखित स्वीकृति अवर सचिव, कमरा सं. 210-डी विंग, पी आर्ट-अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 को प्रेषित की जाए।

संस्थान की कार्यकारी समिति/बोर्ड द्वारा विधिवत् पारित संकल्प जिसमें अनुदान के निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार किया गया हो तथा संस्थान की ओर से बंधपत्र को कार्यान्वित करने के लिए इसके प्रमुख/अध्यक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया हो, सहित संलग्न प्रपत्र में एक बंधपत्र।

(i) यहाँ जारी अनुदान के सम्बंध में, रसीदी टिकट लगाकर, मूल रूप में संलग्न प्रपत्र में पत्र शीर्ष पर दो प्रतियों में एक प्राप्तिका।
(ii) इस प्रभाव का एक वचन कि अनुदान की प्रथम किस्त की प्राप्ति की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के भीतर परियोजना कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

दूसरी किस्त किस्त के उपयोग प्रमाण की प्रति तथा निबंधन एवं शर्तों के पैरा 3(viii) के अनुसार किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित, अलग से तैयार किया जाने वाला लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। संगठन को अनुदान की पहली किस्त के समान धनराशि तथा अनुमोदित अनुदान की दूसरी किस्त (अर्थात भवन के मामले में 40%) के समान धनराशि व्यय करनी है। उपस्कर अनुदान के सम्बंध में, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखाओं को किसी सनदी लेखाकार से प्राप्त समापन सह मूल्यन प्रमाणपत्र तथा जी एफ आर 19 में यथा उपबंधित परिसम्पत्तियों की पंजिका के उद्धरणों के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

उपस्कर अनुदान की स्वीकृति भवन निर्माण परियोजना के समापन के पश्चात् ही दी जाएगी।

2. आहरण और संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय। धनराशि का भुगतान उपरोक्त पते पर संस्थान को किया जा सकता है।

3. महालेखाकार, नागालैण्ड।
4. ए. जी. सी आर, नई दिल्ली।
5. पी एण्ड बी।
6. आई एफ डी।
7. स्वीकृति फोल्डर।
8. सचिव, कला और संस्कृति विभाग, नागालैण्ड सरकार को, इस अनुरोध के साथ कि उचित समय के भीतर अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रगति की निगरानी रखें।

(बी. सेनगुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. एफ. 11-157/2004-पी. आर्ट्स
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग
,,,,,,

नई दिल्ली, दिनांक : ....

लेखा अधिकारी,
वेतन और लेखा कार्यालय,
(अनुभाग) संस्कृति,
नई दिल्ली

विषय : विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करना।

****

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि .... के दौरान .... को निम्नलिखित अनुदान मंजूर किया गया था।

	मंजूरी पत्र संख्या और तारीख	धनराशि
अवधि के लिए वेतन अनुदान	फा. सं.	रु.
नई प्रस्तुति हेतु अनुदान		

भारत सरकार प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से संतुष्ट है कि ऊपर उद्धृत अनुदान को उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था और यह उपयोग युक्तियुक्त समयावधि के भीतर किया गया था। यह प्रमाण-पत्र लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण और सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

भवदीय,

(बी. सेनगुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. एफ. 10-126/2005-पी. ए.
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 29.11.2005

सेवा में,

लेखा अधिकारी,
वेतन और लेखा कार्यालय,
(अनुभाग) संस्कृति,
नई दिल्ली

विषय : विनिर्दिष्ट कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम-वेतन अनुदान - 2005-2006 जारी करना।

महोदय,

मुझे नंदीकर, 47/1, श्यामबाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700004 को अनुबंध-ᑊ में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार, वर्ष 2005-06 के लिए अर्थात् 1.4.2005 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए कलाकारों के वेतन की लागत पूरी करने के लिए 7,44,000/- रु. (केवल सात लाख चौवालीस हजार रुपए) के अनुदान की मंजूरी और भुगतान हेतु राष्ट्रपति का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है। मंजूरी जारी होने की तारीख से छः माह के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र भेजा जाए।

2. यह अनुदान, अनुबंध-ᑊᑊ में यथा अनुबंधित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

3. अनुदानग्राही द्वारा यथाविधि भरे हुए बांड के प्राप्त होने पर अनुदान जारी किया जाएगा।

4. अनुदान की धनराशि आहरण और संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय द्वारा आहरित की जाएगी और संगठन के पक्ष में चेक/आर टी आर के माध्यम से इसका भुगतान संगठन को किया जाएगा।

5. इसमें अंतर्ग्रस्त व्यय को मुख्य शीर्ष '2205' - माँग सं. 20 - संस्कृति मंत्रालय - लघु शीर्ष - 00.102,04.02 - नृत्य, नाटक और रंगमंच मंडलियों के लिए सहायता - 04.02.31 - सहायता-अनुदान - (योजना), 2005-2006 के नामे डाला जाएगा।

6. अनुदानग्राही संस्था कोलकाता के लेखा सर्किल में स्थित है।

7. अनुदान की प्रकृति गैर-आवर्ती है और इसे जी एफ आर नियम 149 (3) और जी एफ आर 151 (1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् जारी किया जा रहा है। पहले के अनुदान के संबंध में कोई उपयोग प्रमाण-पत्र विचाराधीन नहीं है। पहले के अनुदान के लिए कोई अव्ययित अधिशेष विचाराधीन नहीं है।

8. निधियाँ उपलब्ध हैं, जैसाकि आंतरिक वित्त द्वारा उनकी दिनांक 24.11.2005 की डायरी सं. 942/2005-पी. एंड बी. के जरिए प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत सहायता के प्रतिरूप को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान, स्कीम के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जारी किया जा रहा है। इसे आई एफ डी की दिनांक 09.11.2005 की डायरी सं. 2954/2005 के जरिए दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(बी. सेनगुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :

निदेशक,
नंदीकर
47/1,
श्यामबाजार स्ट्रीट,
कोलकाता - 700004
पश्चिम बंगाल

यदि संगठन को निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हों, तो मंत्रालय को अविलंब सूचित किया जाए। संगठन से यह भी अनुरोध है कि वे बांड (प्रतिलिपि संलग्न) को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और उपर्युक्त निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हुए और संस्था की ओर से बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए अध्यक्ष/सचिव को प्राधिकृत करते हुए अपनी कार्यकारिणी समिति से एक संकल्प पारित करवाएं। पूर्णतः भरे हुए, हस्ताक्षरित और उक्त संकल्प के साथ बांड को तुरंत इस मंत्रालय को भेजा जाए। संगठन से यह भी अनुरोध है कि अनुदान के संबंध में संगठन की मोहर के साथ एक रुपए के राजस्व स्टैम्प पर यथाविधि हस्ताक्षर की गई भुगतान रसीद को (जैसाकि संलग्न फॉर्म में दिया गया है) दो प्रतियों में मूल रसीद के साथ भेजा जाए, ताकि मंत्रालय चेक/आर टी आर को यथासंभव शीघ्र

भेज सके। **ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अर्थात् बांड, संकल्प और स्टांप सहित पावती अधोहस्ताक्षरी को स्पीड पोस्ट के द्वारा तुरंत भेजे जाएं।**

यह नोट किया जाए कि वर्ष 2006-2007 हेतु अनुदान के अनुरोध पर निम्नलिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा :-

प) वर्ष 2005-2006 के दौरान संगठन के कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट (पप) वर्ष 2006-2007 के लिए प्रस्तावित कार्यकलाप/कार्य योजना (पपप) वर्ष 2006-2007 के लिए सहायता के नवीकरण हेतु औचित्य।

यह भी नोट किया जाए कि अनुदान प्राप्त होने पर मंजूरी से संलग्न ऊपर दी गई शर्तों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्यतः भेजा जाए :-

(प) वर्ष 2005-2006 के लिए लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, आय-व्यय और संगठन के सभी कार्यकलापों को शामिल करते हुए पावती भुगतान लेखे (पप) वर्ष 2005-2006 के लिए स्कीम के अंतर्गत अनुदान के लिए विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षित भुगतान-पावती लेखे (पपप) वर्ष 2005-2006 के लिए अनुदान के संबंध में, सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया उपयोग प्रमाण-पत्र (पअ) 2005-2006 के लिए अनुदान से किए गए भुगतान के ब्यौरे (अ) वर्ष 2005-2006 के लिए अनुदान से संबंधित एक प्रस्तुति और इसकी पॉंच बार मंच प्रस्तुतियों का साक्ष्य (रंगमंच संगठनों द्वारा यह अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए)।

2. आहरण और संवितरण अधिकारी (सहायता अनुदान), संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
धनराशि का भुगतान ऊपर दिए गए पते के अनुसार किया जा सकता है।

3. आई एफ डी
4. पी एंड बी, संस्कृति मंत्रालय
5. सचिव, एस एन ए, नई दिल्ली
6. निदेशक, जेड सी सी
7. ए जी सी आर (विशेष प्रकोष्ठ), नई दिल्ली
8. ई. सी. इकाई
9. गार्ड फाइल

(बी. सेनगुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध - I

1.4.2005 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए 3000/- रु. प्रतिमाह की दर से 19 कलाकारों और 5000/- रु. प्रतिमाह की दर से 1 गुरू = 7,44,000/- रु.